पेपर VIII : विकास प्रशासन

पाठ्यक्रम : बी.ए. IV सेमेस्टर

शहरी विकास कार्यक्रम

Utkarsh Mishra

Doctoral Research Scholar (JRF)

Department of Public Administration,

University of Lucknow

स्मार्ट सिटी

- भारत सरकार ने 25जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था ।
- स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं ।
- सुस्थिर और समावेशी विकास पर जोर है और सघन क्षेत्रों पर ध्यान देने, प्रकृति मॉडल सृजित करने का विचार है जो अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ, के रूप में कार्य करेगा । स्मार्ट सिटीज़ मिशन का तात्पर्य ऐसे उदाहरण स्थापित करने से है जो स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोनों ओर परिलक्षित हो सके जो देश के विभिन्न क्षेत्रों और भागों में ऐसे स्मार्ट सिटी का निर्माण करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सके ।
- एक स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, विशेषत : गरीबों के लिए किफायती आवास , सक्षम आईटी कनैक्टिविटी और डिजीटेलाइजेशन, सुशासन, विशेषत : ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी , सुस्थिर पर्यावरण, विशेषत : महिलाओं , बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल होंगे।
- स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यनीतिक घटक शहर सुधार) रेट्रोफिटिंग (, शहर नवीकरण) पुनर्विकास (और शहर विस्तार) ग्रीन फील्ड विकास (तथा पैन-सिटी पहल प्रयास है जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किया जाएगा ।
- क्षेत्र आधारित विकास में स्लमों सहित मौजूदा क्षेत्रों को) रेट्रोफिट एवं पुनर्विकास (बेहतर नियोजन मानव बसाव में परिवर्तित किया जाएगा जिससे पूरे शहर के जीवन स्तर में सुधार आएगा । सुनियोजित एवं पूर्णतया सेवाप्रद नए क्षेत्रों) ग्रीनफील्ड (का विकास शहरों के आस पास शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते आबादी को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग शहरों को अवस्थापना एवं सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा ।
- इस तरीके से व्यापक विकास, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगा, रोजगार उत्पन्न करेगा और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितां की आय बढ़ाएगा जिससे समावेशी शहरों का मार्ग प्रशस्त होगा ।

<u>चयन प्रक्रिया</u>

- स्मार्ट सिटी की चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद के विचार पर आधारित है और दो चरणीय प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया से स्मार्ट सिटी का चयन ।
- जनवरी, 2016 में , अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर चक्र 1में 20 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था। मई 2016 में फास्ट ट्रैक चक्र में 13 और स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था)

- चक्र 2में , 63 संभावित स्मार्ट सिटी ने भाग लिया , और उनमें से सितंबर 2016में 27 और स्मार्ट सिटी का चयन किया गया ।
- तीसरे दौर में 45 संभावित स्मार्ट शहरों ने भाग लिया जिनमें से जून, 2017 में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- चौथा दौर में 15 संभावित स्मार्ट शहरों ने भाग लिया जिनमें से जनवरी, 2018 में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- 99 शहरों द्वारा अपनी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 2,01,981 करोड़ रू0 के कुल निवेश का प्रस्ताव किया गया है । पहचान किए गए क्षेत्र (क्षेत्र आधारित परियोजनाओं) के पुनरूद्धार पर केन्द्रित परियोजनाओं की लागत 1,63,138 करोड़ रू0 होने का अनुमान है । शहर व्यापी स्मार्ट प्रयासों (पैन सिटी प्रयासों) पर शेष 38,841 करोड़ का निवेश किया जाना है ।
- नगर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित विशेष प्रयोजन साधन) एसपीवी (के माध्यम से किया जाएगा । कंपनी अधिनियम , 2013 के अंतर्गत गठित लिमिटेड कंपनी होगा , जिसमें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय 50:50 इक्विटी अंशधारक के साथ इसके प्रवर्तक होंगे । चयन के पश्चात , प्रत्यक चयनित स्मार्ट सिटी का एसपीवी का गठन करना होगा और स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, निविदा आदि आरंभ करना होगा।
- एसपीवी स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं) पीएमसी (के माध्यम से परियोजनाओं में परिवर्तित करेगा और तत्पश्चात . उसका कार्यान्वयन करेगा ।

अमृत

मिशन (अमृत) का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.06.2015 को किया गया था । इस मिशन का उद्देश्य 500 शहरों / कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है जो मिशन शहरों / कस्बों के रूप में सुधार करना है जो मिशन शहरों / कस्बों के रूप में जाने जाएंगे । मिशन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जा रहा है । मिशन का उद्देश्य छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) तथा राजधानी कस्बों जैसे कुछ अन्य शहरों, प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों पर कुछ शहरों और पर्यटन तथा पर्वतीय दृश्नीय स्थलों सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों और कस्बों को शामिल करना है ।

मिशन

राष्ट्री य प्राथमिकता के रूप में शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्यध से अवसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तकर में सुधार होगा ।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्यी

- यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्ये क परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शनन सहित नल सुलभ हो ।
- हरित क्षेत्र और सुव्यकवस्थित खुले मैदान(अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यहता में वृद्धि करना और ।
- गैर-मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिए सुविधाओं के निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना। ये सभी परिणाम नागरिकों विशेषतया महिलाओं के लिए महत्ताो रखते हैं और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्त रीय बैंचमार्क (एसएलबी) के रूप में संकेतक और मानक निर्धारित किए गए हैं।

मिशन का प्राथमिक क्षेत्र जलापूर्ति है और इसके बाद सीवरेज है।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत मिशन –शहरी (एसबीएम-यू) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया जिसका उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा देश में 4041 सांवधिक कस्बे में नगरीय ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है ।

मिशन के उद्देश्य निम्नवत है :

- खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना।
- हाथ से सफाई करने की प्रथा समाप्त करना।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन ।
- स्वस्थ स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना।
- स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से इसके सम्बद्ध होने के बारे में जागरूकता लाना।
- शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता संवर्द्धन ।
- केपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (प्रचालन एवं अनुरक्षण) व्यय में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना।

मिशन के निम्नलिखित घटक है :

- अस्वच्छकर शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय।
- सामुदायिक शौचालय।
- सार्वजनिक शौचालय।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- आईईसी एवं जन जागरूकता।
- क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए एण्ड ओई) ।

मिशन के लिए निर्धारित लक्ष्य, जिन्हें 2 अक्टूबर, 2019 तक प्राप्त किया जाना है, में निम्न शामिल हैं :

- 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल);
- 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय (सीटी) सीटों का निर्माण;
- 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय (पीटी) सीटों का निर्माण;
- घर-घर जाकर शत प्रतिशत कचरा संग्रहण और नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रबंधन करना ।

नागरिकों को सतत रूप से शामिल करना तथा जागरूक करना सुनिश्चित करने के लिए, नियमित अंतराल पर विषयक आधारित स्वच्छता अभियानों के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन हेतु सहभागिता दृष्टिकोण की आयोजना की जा रही है जो क्षेत्र विशिष्ट है विषयक आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका लक्ष्य शहर के मुख्य स्थान और लक्ष्य हैं । विशिष्ट विषय के आधार पर संगत सरकारी विभागों और संस्थाओं को अभियानों के कार्यान्वयन तथा संगत हितधारकों द्वारा सहभागिता हेतु नियुक्त किया गया है ।

हृदय

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय, विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान देने के साथ, 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत शहर के विकास और संवर्धन योजना (हृदय) योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संरक्षण और विरासत शहर की आत्मा को पुनर्जीवित उत्साहजनक सौंदर्य की दृष्टि से, अपील सुलभ, जानकारीपूर्ण और सुरक्षित वातावरण से शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए करना है।

27 महीने की अवधि (मार्च 2017 में पूरा) और INR 500 करोड़ की कुल लागत के साथ, योजना 12 की पहचान शहर अर्थात्, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी में लागू किया जा रहा है, वाराणसी, वर्जिन मेरी और वारंगल। इस योजना के एक मिशन के रूप में लागू है।

योजना कोर विरासत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जो विरासत की संपत्ति की पहचान / संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों की सरकार ने मंजूरी दे दी आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे के पुनरोद्धार शामिल होगा के विकास का समर्थन करता है। इन पहलों पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, दृष्टिकोण सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइट, पर्यटन सुविधाएं, बिजली के तारों, बागवानी और ऐसे नागरिक सेवाओं के विकास में शामिल होगा।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएण्नयूआरएम)

- जेएनएनयूआरएम को इस मंत्रालय की प्रथम फ्लैगशिप योजना के तौर पर 2005 में आरंभ किया गया था। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जेएनएनयूआरएम के दो घटक हैं, अर्थात

शहरी गरीबों के लिये बुनियारी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), जिनका उद्देश्य शहरी गरीबों को उपयोगिताएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण के साथ आश्रय, बुनयारी सेवाएं और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये परियोजना के जरिये झुग्गी-झोंपड़ियों का समन्वित विकास करना है।

- मिशन आरंभ में सात वर्ष की अवधि के लिये अर्थात मार्च 2012 तक था जिसे पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये मार्च 2014 तक विस्तारित कर दिया गया। मार्च 2013 के दौरान, मिशन अवधि को चालू कार्यों को पूरा करने के लिये एक और वर्ष तक के लिये अर्थात मार्च 2015 तक बढ़ा दिया गया था। शहरी जनसंख्या (जनगणना 2001), सांस्कृतिक और पर्यटन के महत्व के आधार पर पहचान किये गये 65 मिशन शहरों को बीएसयूपी के अधीन शामिल किया गया था और शेष शहरों को आईएचएसडीपी के अधीन शामिल किया गया
    - बीएसयूपी के अधीन, परियोजना लागत को 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिये (जनगणना 2001 के अनुसार) 50:50 के अनुपात में, अन्य छोटे मिशन शहरों के लिये 80:20 और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में बांटा जाती है। आवासीय इकाइयों (डीयू) के निर्माण और संबद्ध अवसंरचना की संपूर्ण लागत को बिना किसी सीमा के ऊपर वर्णित हिस्सेदारी पद्धति के अनुरूप बांटा गया था। आईएचएसडीपी के अधीन, शेष छोटे शहरों के लिये परियोजना लागत को 80:20 के अनुपात में बांटा जाता है और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। आईएचएसडीपी योजना के अधीन संचालित परियोजनाओं के लिये अवसंचरना की लागत सहित प्रति आवासीय इकाई 1 लाख रू की लागत सीमा लागू थी।
    - जेएनएनयूआरएम के दो घटकों की अनिवार्यता 3 प्रमुख ग़रीब हितैषी सुधार संचालित करना था, नामतः (क) शहरी गरीबों के लिये किफायती आवास सहित बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिये शहरी गरीबों के लिये नगरपालिका बजट का 25 प्रतिशत चिन्हित करनाय ;खद्ध अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध रूप से गरीबों के लिये नामतः भूमि निर्धारण का प्रावधान, किफायती आवास, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिये 7-प्वाइंट चार्टर का कार्यान्वयन. और (ग) झुग्गी झोंपड़ी के लिये महत्वपूर्ण सभी आवास परियोजनाओं, सार्वजनिक अथवा निजी, में विकसित भूमि के 25 प्रतिशत का आरक्षण।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी)

स्लमों में 34% की दशकीय वृद्धि दर के साथ, स्लम आवासों के 18 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। मिशन के अंतर्गत 2 मिलियन ग़ैर-स्लम शहरी ग़रीब परिवारों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल परिकल्पित आवास कमी, जिसे नये मिशन के जरिये दूर किया जाना है, 20 मिलियन है।

मिशन को 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा और निम्नलिखित कार्यों के लिये शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जरिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगीः

1. निजी भागीदारी के जरिये संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी वासियों का यथा-स्थान पुनर्वास
2. ऋण सम्बन्द्व सहायता
3. भागीदारी में किफायती आवास
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता

ऋण सम्बन्द्व सहायता घटक का कार्यान्वयन एक केंद्रीय स्कीम के तौर पर किया जायेगा जबकि अन्य तीन घटक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तौर पर कार्यान्वित किये जायेंगे। योजना को तीन चरणों में, 500 श्रेणी - 1 शहरों पर शुरूआती फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों से युक्त संपूर्ण शहरी क्षेत्र को शामिल किया जायेगा। स्कीम के ऋण सम्बन्द्व सहायता घटक को शुरूआत से ही देश भर में सभी सांविधिक कस्बो में कार्यान्वित किया जायेगा।

सहकारी संघवाद की भावना में, मिशन राज्यों के लिये अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने के लिये मिशन के चार कार्य-क्षेत्रों में से श्रेष्ठ विकल्पों को चुनने की छूट होगी। मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया राज्यों पर छोड़ दी जायेगी ताकि परियोजनाएं तेज़ी से तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की जा सकें।

आवासों के तेज़ी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री अभिग्रहण में सुविधा के लिये मिशन के अधीन एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन की स्थापना की जायेगी। प्रौद्योगिकी उप-मिशन विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिये उपयुक्त लेआउट डिज़ाइनों और भवन योजनाओं को तैयार और अभिग्रहण करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। यह आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां लागू करने में भी राज्यों/शहरों की सहायता करेगा।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के बारे में :-

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2013 को मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आरंभ किया था । एनयूएलएम में शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाएगा जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होगा तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है । इसके अतिरिक्त, मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

एनयूएलएम का मुख्य विशेषताएं निम्नवत है:

i. कवरेज : 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनयूएलएम का कार्यान्वयन सभी जिला मुख्यालय कस्बों (आबादी पर ध्यान दिये बिना) और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख और इससे अधिक आबादी वाले अन्य कस्बों में किया जाएगा । वर्तमान में एनयूएलएम के मामलों के अंतर्गत 790 शहर शामिल हैं । तथापि, आपवादिक मामलों में अन्य कस्बों को राज्यों के अनुरोध पर अनुमति दी जाएगी ।

ii. लक्ष्य आबादी : एनयूलएम का प्राथमिक लक्ष्य शहरी बेघर व्यक्तियों सहित शहरी गरीब व्यक्ति हैं ।

iii. वित्तपोषण की भागीदारी : केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 की अनुपात में वित्तपोषण किया जाएगा । पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 होगा ।

मार्गदर्शी – सिद्धांत

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का मूल विश्वास यह है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है । इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। इस प्रक्रिया में पहला कदम यह है कि शहरी गरीबों को अपने निजी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है । उन्हें तथा उनके संस्थानों को पर्याप्त क्षमता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे बाह्य परिवेश का प्रबंधन कर सकें, वित्त प्राप्त कर सकें, अपने कौशल, उद्यमों और संपतियों का विस्तार कर सकें । इसके लिए निरंतर और ध्यानपूर्वक तैयार की गई एक जुट सहायता की आवश्यकता है । राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहरी और समुदाय के स्तर पर एक बाह्य, कटिबद्ध और संवेदनशील सहायता ढांचे की आवश्यकता है ताकि सामाजिक संगठन, संस्थान का निर्माण और जीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके ।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का यह विश्वास है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को केवल समयबद्ध तरीके से ही आगे बढाया जा सकता है बशर्ते कि इसे गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जाए । ऐसे सुदृढ संस्थागत ढांचे गरीबों के लिए उनके निजी मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपतियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं । इस प्रकार ये उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, हकदारियों, अवसरों और सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं और साथ ही उनकी एकता सुगठित करते हैं, अभिव्यक्ति और लेन-देन की शक्ति को भी बढाते हैं ।

- संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का विधिक कार्य है । इसलिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरों/कस्बों में रह रहे शहरी गरीबों से संबंधित उनके कौशल और जीविका सहित उनसे संबंधित समस्त मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है ।

- एनयूएलएम का उद्देश्य कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्यापक रूप से शामिल करना है । यह बाजार-आधारित कार्यों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सुगमता से ऋण प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा ।

- पथ विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि पिरामिड के धरातल पर हैं। पथ विक्रय स्व-रोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है और इस प्रकार यह बिना प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में कार्य करता है । शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्थान होता है और ये शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं । एनएलयूएम का उद्देश्य उन्हें अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करना, संस्थागत ऋण सुलभ कराना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढाना होगा । ऐसे शहरी बेघर लोग जो कि बिना किसी आश्रय अथवा सामाजिक सुरक्षा के रह रहे हैं, अत्यंत असुरक्षित वर्ग है जब कि वे अपने सस्ते श्रम से शहरों के सुस्थिर विकास में योगदान करते हैं । पटरियों पर जीवन, शारीरिक रूप से पीडादायक और चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में निरंतर किनारे पर बसर करने जैसा होता है । बेघर लोगों के सामने पेश आ रही आश्रय, सामाजिक आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए उपयुक्त नीतिगत क्रियाकलाप किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार एनयूएलएम का उद्देश्य चरण बद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को अनिवार्य सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना होगा ।

- एनयूएलएम मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों और कौशल, आजीविकाओं, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य , शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्पादित करने वाले राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता पर अत्यधिक बल देगा । ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक सेतु के रूप में ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों से एक संयुक्त कार्यनीति बनाए जाने का समर्थन करने का अनुरोध किया जाएगा ।

- एनयूएलएम का उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय के प्रचालन में सहायता प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करना है । यह शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय प्रदान करने तथा साथ ही ऐसे शहरी गरीब उद्यमियों को जो कि स्व-रोजगार प्राप्त करना तथा अपने निजी लघु व्यावसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट स्थापित करना चाहते है, प्रौद्योगिकीय, विपणन और एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल समाज के क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयास करेगा ।

मूल्य

एनयूएलएम निम्नलिखित मूल्यों का समर्थन करेगा :-

(i) सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों और उनके संस्थानों का स्वामित्व और लाभकारी सहयोग ।

(ii) संस्थागत निर्माण और क्षमता सुदृढीकरण सहित कार्यक्रम के डिजाईन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता ।

(iii) सरकारी पदाधिकारियों और समुदाय की जबावदेही ।

(iv) उद्योग और पणधारियों के साथ भागीदारी ।

(v) सामुदायिक आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता, स्वयं-सहायता और पारस्परिक-सहायता।